राज्य सरकारों को पहले ही अनुदेश दिए जा चुके हैं कि पुनर्वास के लिए दिए गए ऋणों की वसूली के मामले में जोर-जबरदस्ती वाले उपायों को न अपनाया जाए और प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए।

विवरण

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों और बर्मा से आए प्रत्यावासियों को पुनर्वास के लिए दिए गए ऋणों को माफ करने के मामले में इन व्यक्तियों को निम्न रियायतें दी गई हैं :—

(क) **पुराने प्रवासी** (अर्थात् वे जो भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से 31.1.1958 तक आए थे)

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए पुराने प्रवासियों के मामले में भरण-पोषण ऋणों और सरकार द्वारा प्रायोजित/अनुमोदित अनधिवासी कालोनियों में भूमि अर्जन और विकास के लिए दिए ऋणों को अनुदानों में परिवर्तित कर दिया था। इसके अतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 31.3.1964 तक राज्य सरकारों को दिए गैर-अंशदायी गृह निर्माण, आवासीय भूमि, कृषि भूमि और लघु व्यवसाय के लिए ऋणों अर्थात "टाइप ऋणों" को 17.2.1977 को जारी किए गए अनुदेशों द्वारा पूर्णतया माफ कर दिया गया है।

(ख) **नए प्रवासी** (अर्थात वे जो भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से 1.1.1964 से 25.3.1971 के दौरान आए थे)

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासियों के ऋण-भार को कम करने की दृष्टि से निम्न रियायतें दी गई हैं :—

(I) प्रवासियों को आवंटित कृषि भूमि के अर्जन, उद्धार और विकास पर किए गए व्यय को अनुदान के रूप में माना जाएगा,

(II) जहां कहीं सिंचाई सुविधाओं की लागत प्रवासियों पर ऋण के रूप में मानी गई है, उसे माफ किया जाएगा,

(III) प्रत्येक परिवार से आवासीय ऋण की वसूली 1500 रुपये अथवा कुल आवासीय ऋण की आधी राशि, जो भी अधिक हो, तक सीमित की जाएगी और शेष राशि माफ कर दी जाएगी और

(iv) जहां कहीं कीट नाशक की लागत प्रवासियों को ऋण के रूप में मानी गई है, उसे अब अनुदान के रूप में माना जाएगा।

वसूली योग्य शेष राशि को इकट्ठा करके भूमि के पूर्णतया असिंचित, अंशतः असिंचित और पूर्णतया सिंचित होने के आधार पर 15/12/10 वर्षों में वसूल किया जाएगा। मूलधन और ब्याज के संबंध में 1 अप्रैल, 1982 से 3 वर्ष की मोहलत भी दी जागगी।

(ग) **बर्मा प्रत्यावासी**

कृषि अथवा लघु-व्यवसाय आदि में पुनर्वास के लिए 31.3.1974 तक बर्मा से आए प्रत्यावासियों को दिए गए ऋणों को प्रत्येक मामले में, जहां स्थल छोड़कर चले जाने, ऋणी की मृत्यु होने अथवा अन्य कारण से ऋण वसूली योग्य नहीं रह गए थे, 3000 रुपये की सीमा तक (ब्याज छोड़कर) बट्टे खाते डालने के लिए अगस्त, 1982 में राज्य सरकारों को शक्तियां दे दी गई थी।

Broadcast/telecast of Cricket Commentary in regional languages

3444. SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether all India Radio and Doordarshan have considered the Radio listeners' and T.V. viewers' request for Cricket Commentary in their regional languages ;

(b) if so, whether any steps have been taken in this matter ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING [AND IN THE

DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c)

ALL INDIA RADIO:

Depending upon the availability of technical facilities and talent available, the Stations have been allowed to originate commentaries in regional languages.

DOORDARSHAN

Doordarshan has a single channel for all its telecasts. Since Doordarshan has to broadcast commentary both in English and Hindi, it is not possible for it to undertake commentaries in the regional languages.

Labour Court at Chandigarh

3445. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no Labour Court is functioning at Chandigarh for the last six months;

(b) if so, how many cases of labour references by Government have remained unattended; and

(c) the steps proposed to expendite the setting up of labour court at Chandigarh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR): (a) No, Sir. Central Government Industrial Tribunalcum-Labour Court set up recently at Chandigarh is functioning.

(b) Question does not arise.

(c) Not applicable.

राजस्थान के जालौर-सिरोही जिलों में विद्युतीकृत नलकूप

3446. **श्री विरदाराम फुलवारिया**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के जालौर-सिरोही जिलों में अक्तूबर, 1983 तक कितने नलकूपों को बिजली दी गई है और कितने नलकूपों को दी जानी शेष है; और

(ख) उन्हें कब तक बिजली दे दी जाएगी और इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) और (ख) राजस्थान में ट्यूबवैलों के ऊर्जन के संबंध में जिलेवार ब्यौरा केवल 30.9.83 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध है। उक्त तारीख को राजस्थान के जालौर जिले में 9136 ट्यूबवैल तथा सिरोही जिले में 5489 ट्यूबवैल ऊर्जित थे। 1983-84 के दौरान 9730 पम्पसैटों को ऊर्जित करने के लक्ष्य में 9000 पम्पसैटों को ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत ऊर्जित किया जाना है और 730 पम्पसैटों को राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जित किया जाना है। वर्ष 1983-84 के दौरान राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत जेलौर जिले में 305 पम्पसैटों और सिरोही जिले में 105 पम्पसैटों को ऊर्जित करने का कार्यक्रम बनाया है। राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जित किए जाने वाले 730 पम्पसेटों का जिलेवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। 1983-84 (30.9.83 तक) के दौरान जेलौर जिले में 78 पम्पसेटों तथा सिरोही जिले में 41 पम्पसैट ऊर्जित किए गए थे। अगले वर्षों के लिए कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Shortage of cooking coal

3447. SHRI ARUN KUMAR NEHRU: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is acute shortage of cooking coal from indigenous sources; if so, what is the short fall against actual target and requirement;

(b) whether large quantities of cooking coal are being imported to make up the shortage, particularly for the steel industry; if so, at what cost; and

(c) what remedial action Government envisage in this direction and when we are likely to become self-reliant in this item?

THE MINISTER OF STATE IN THE